

नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचिती नहीं करने के प्रस्ताव को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

17 अगस्त, 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनहति को ध्यान में रखते हुए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचिती नहीं करने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की। मुख्यमंत्री के इस नरिणय से हज़ारों आदवासियों का 30 वर्षों का संघर्ष समाप्त होगा।

प्रमुख बदि

- गौरतलब है कि 1964 में शुरु हुए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का तत्कालीन बहार सरकार द्वारा 1999 में अवधिविस्तार कया गया था।
- नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के वरिध में लातेहार ज़िला के करीब 39 राजस्व ग्रामों द्वारा आमसभा के माध्यम से राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा गया था, जसिमें नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज से प्रभावति जनता द्वारा बताया गया था कि लातेहार व गुमला ज़िला पाँचवी अनुसूची के अंतरगत आते हैं। यहाँ पेसा एक्ट 1996 लागू है, जसिके तहत ग्रामसभा को संवैधानकि अधिकार प्राप्त है।
- इसी के तहत नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के प्रभावति इलाके के ग्राम प्रधानों ने प्रभावति जनता की मांग पर ग्रामसभा का आयोजन कर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लयि गाँव की सीमा के अंदर की ज़मीन सेना के फायरिंग अभ्यास हेतु उपलब्ध नहीं कराने का नरिणय लयिा था। साथ ही नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना को आगे और विस्तार न कर वधिवित् अधिसूचना प्रकाशति कर परयोजना को रद्द करने का अनुरोध कयिा था।
- गौरतलब है कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज से प्रभावति जनता द्वारा पछिले लगभग 30 वर्षों से लगातार नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना को रद्द करने हेतु वरिध-प्रदर्शन कयिा जा रहा था। वर्तमान में भी प्रत्येक वर्ष की भाँति नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के वरिध में 22-23 मार्च को वरिध-प्रदर्शन कयिा गया था।